P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में पंथनिरपेक्षता : एक अध्ययन

अग्निदेव
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

पंथनिरपेक्षता की चर्चा के समय यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पंथनिरपेक्ष राज्य और पंथनिरपेक्ष समाज में से किसका विकास पहले हुआ। दरअसल राज्य (राष्ट्र–राज्य) एक औपचारिक राजनीतिक एवं वैधानिक अवधारणा है जबकि समाज अमूर्त एवं अनौपचारिक अवधारणा है पंथनिरपेक्ष राज्य एवं पंथनिरपेक्ष समाज परस्पर सहसम्बन्धित है। जब किसी समाज में पंथनिरपेक्षता के लक्षण अभिव्यक्त होते हैं तभी वहां शासकीय तौर पर पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार पंथनिरपेक्ष राज्य के बिना पंथनिरपेक्ष समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

व्यक्ति, समाज एवं राज्य तीनों को सेक्युलर बनना होगा तभी सच्चे सेक्युलरिज्म की स्थापना संभव है। हमारे देश में हम राज्य या शासन के द्वारा अलंकृत पंथनिरपेक्षता के कई उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी सरकारी उद्घाटन या शिलान्यास के समय नारियल का प्रयोग आम बात है। हमारी शासकीय क्रियाएं सेक्युलर होनी चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 की अनुपालना में अब हमें समान नागरिक संहिता बनाने की महती आवश्यकता है। तभी हम सच्चे अर्थों में पंथनिरपेक्षता की ओर आगे बढ़कर संविधान की प्रस्तावना के लक्ष्य को पूरा करेंगे।

मुख्य शब्द : पंथनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता, संविधान, राज्य, समाज, धर्म।

प्रस्तावना

पंथनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) आजकल राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित शब्दावली है। सेक्युलरिज्म, जिसका उद्भव यूरोप के दैनिक जीवन में हावी धर्म या चर्च के प्रभावों के उन्मूलन के रूप में हुआ, आधुनिक युग की केन्द्रीय अवधारणा है यह धर्म के अवैज्ञानिक प्रभावों के उन्मूलन पर बल देती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पंथनिरपेक्षता का अर्थ प्रतिदिन के जीवन, धार्मिक कर्मकाडों के प्रति विरोधात्मक स्थितियों का विकास और कर्मकांडीय प्रक्रिया के तर्को द्वारा स्थापना है। परन्तु यह पंथनिरपेक्षता का संकुचित अर्थ है। पंथनिरपेक्षता वास्तव में सर्वधर्मसम्भाव पर आधारित है।

भारतीय हिन्दू संगठन के अनुसार धर्म (Dharm) का अर्थ है– कर्तव्य पालन, जो हमारे चार पुरूषार्थो – धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में सर्वप्रथम रखा गया है पश्चिमी अवधारणा रिलीजन (Religion) का हिन्दी अनुवाद धर्म नहीं अपितु पंथ होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म के लिए हिन्दी शब्द पंथनिरपेक्ष शामिल किया गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं । इस प्रकार हमने धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथनिरपेक्षता शब्दावली को प्रयुक्त किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में पंथनिरपेक्षता का मुद्दा आजकल भारतीय राजनीति में बहुत अधिक चलन में है इसलिए शोधकर्त्ता ने शोध हेतु इस विषय को चुनते हुए शोध के निम्न उद्देश्य बताये है–

1. पंथनिरपेक्षता का अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट करना।
2. पंथनिरपेक्षता के सन्दर्भ में लोगों की सोच का पता लगाकर उसका अध्ययन करना।
3. भारतीय राजनीति एवं पंथनिरपेक्षता के अन्तर्सम्बंधों का अध्ययन करना।
4. भारतीय संविधान में शामिल पंथनिरपेक्षता सम्बन्धी प्रावधानों का अध्ययन करना।
5. भारत में पंथनिरपेक्षता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करते हुए, उसके सार्थक समाधान हेतु सुझाव देना।

अध्ययन पद्वति

शोध विषय 'भारत में पंथनिरपेक्षताः एक अध्ययन' की प्रकृति सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की है। इसलिए शोधकर्त्ता द्वारा शोध सामग्री का संकलन करते समय प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों से सामग्री ली गई है। प्राथमिक आंकडों को इकट्ठा करते समय शोधकर्त्ता द्वारा लोगों से साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा अनुसूची के माध्यम से पंथनिरपेक्षता से सम्बन्धित सवाल पूछकर लोगों की राय जानी गई तथा द्वितीयक आंकडे एकत्रित करने के लिए इस विषय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित रचनाओं, विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों तथा पंथनिरपेक्षता विषय पर हुई संगोष्ठियों में प्रस्तुत शोध–पत्रों से सामग्री ली गई है।

साहित्यावलोकन

एस.एल. वर्मा एवं मधु मिश्रा ने अपनी रचना 'महात्मा गांधी एवं धर्मनिरपेक्षता' (1999) में धर्म की साम्प्रदायिक धारणा को निरस्त करते हुए, व्यापक धर्म पर आधारित महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित धर्मनिरपेक्षता विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में गांधीय धर्मनिरपेक्षता का, भारतीय संविधान–प्रतिपादित तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के साथ तुलना करते हुए विचारात्मक आकलन किया गया है।

शबनम तेजानी ने अपनी रचना 'इण्डियन सेकुलरिज्म' (2011) में लिखा है कि पंथनिरपेक्षता एक बहस का विषय है। यह पुस्तक भारत में धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालती है। इसमें उन्नीसवीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माण तक भारत में धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न चरणों का क्रमबद्व अध्ययन करते हुए धमनिरपेक्षता को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है।

बिपिन चन्द्रा ने अपनी रचना 'आजादी के बाद का भारत' (2015) में भारत में आधुनिक समय में फैल रही साम्प्रदायिकता के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए, उनके समाधान के उपाय सुझाये है। लेखक ने भारत में पंथनिरपेक्षता के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

संदीप बालकृष्णा ने अपनी रचना 'सेवंटी ईयर्स ऑफ सेकुलरिज्म' (2018) में लिखा है कि आज सत्तर साल बाद भारत में नया शक्तिशाली राजनीतिक व सांस्कृतिक ढांचा बन गया है नेहरू युग से लेकर आज तक भारत में विभिन्न धर्म, भाषा एवं संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे है यह भारत की शक्तिशाली एवं प्रभावी पंथनिरपेक्षता की संस्कृति में ही संभव है।

माधव गोडबोले द्वारा लिखित पुस्तक 'धर्मनिरपेक्षताः दोराहे पर भारत' (2018) में भारत की धर्मनिरपेक्षता का वस्तुपरक एवं गहराई से विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि भारत का अस्तित्व इसकी धर्मनिरपेक्षता की सफलता पर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता के सशक्तिकरण के लिए गोडबोले ने संवैधानिक आयोग की स्थापना, राजनीतिक एवं धर्म का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित करने जैसे सुझाव इस पुस्तक में दिये है।

नीरा चण्डहोक ने अपनी रचना 'रिथिकिंग प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म एण्ड टोलेरेंस (2019) में लिखा है कि लोग बहुभाषा बोलते है विभिन्न भगवानों को मानते है, विभिन्न संस्कृतियां अपनाये हुए है तथा विश्व के विभिन्न भागों में राजनैतिक विकास के ये विभिन्न आयाम है और यही विश्व में पंथनिरपेक्षता की पहचान बनी हुई है। भारत में भी पंथनिरपेक्षता को लागू करने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध है इसलिए भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है।

पंथनिरपेक्षता का अर्थ

पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का आशय ऐसी स्थिति है जिसका सम्बंध इस लोक से हो परलोक से नहीं। यह नैसर्गिक नैतिकता पर आधारित आचार व्यवस्था की द्योतक है। इसलिए इसे लौकिकवाद भी कहा जाता है। यह विचारधारा घटनाओं या समस्याओं या तथ्यों का निर्धारण धर्म, परम्परा, प्रथाओं के स्थान पर बुद्विसंगतता (तर्कसंगता) या विवेक के आधार पर करती है।

पंथनिरपेक्षता को लेकर सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से अनेक भ्रम एवं मतभेद व्याप्त हैं। सेक्युलर शब्दावली पश्चिमी अवधारणा है जिसका वास्तविक अर्थ– धर्म (चर्च) और राज्य की पृथकता है। इस प्रकार सेक्युलरवाद से तात्पर्य नास्तिकवाद कदापि नहीं हैं। भारतीय समाज में यह अवधारणा लागू नहीं होती क्योंकि यहां धर्म कण–कण में समाया हुआ है और हमारे जीवन का अहम अंग है तथा धर्म को जन–जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता।

वस्तुतः पंथनिरपेक्षतावाद के दो पक्ष है– नकारात्मक तथा सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष के अतंर्गत पंथनिरपेक्षतावाद धर्म के प्रचलित सामान्य अर्थ में इसका निषेध करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक, कानून, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, नैतिकता, प्रशासन आदि में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों से संबन्धित समस्याओं पर धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, अपितु मानव कल्याण की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। पंथनिरपेक्षता की यूरोपीय संकल्पना से यह मेल खाता है। पंथनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष सर्वधर्म समन्वय पर आधारित है। भारतीय संकल्पना के अनुसार पंथनिरपेक्षता केवल शासन का सिद्धांत ही नहीं अपितु राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र भी हैं इस अवधारणा के अनुसार सरकार सभी धर्म या पंथ एवं धार्मिक संगठनों के साथ एक जैसा समान व्यवहार करती है।

पंथनिरपेक्षता की यूरोपीयन अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब राष्ट्र की संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा, नैतिकता, आर्थिक व्यवस्था उसके द्वारा बनाए गए कानूनों तथा इन कानूनों के कार्यान्वयन को धर्मगुरूओं के अनावश्यक और अवांछनीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता के समर्थक मानव जीवन के इन सभी क्षेत्रों को धर्म से पृथक एवं स्वंतत्र मानते है और इनमें धर्म के हस्तक्षेप को पूर्णतः अस्वीकार करते है। जबकि गांधीजी धर्म के बिना राजनीति को बेकार मानते थे। लेकिन आधुनिक पंथनिरपेक्षता का मत है कि धर्म प्रत्येक मनुष्य का

व्यक्तिगत मामला है अतः इसे मानव के सामाजिक जीवन से संबधित समस्याओं के विषय कें मनुष्य का कोई भी निर्णय किसी भी रूप से धार्मिक सिद्धान्तों, मान्यताओं अथवा विश्वासों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी अर्थ में पंथनिरपेक्षतावाद मानव जीवन में धर्म का पूर्णतः निषेध करता है। यही इस सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष है।

पंथनिरपेक्षता की विशेषताएं

पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की कुछ अनिवार्य विशेषताएं है, जिनके आधार पर धर्म या पंथ, व्यक्ति तथा राष्ट्र इन तीनों के पारस्परिक संबंधों पर विचार किया जाता है। इनमें से प्रमुख निम्न हैं–

1. पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की प्रथम मुख्य विशेषता यह है कि वह धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला मानकर व्यक्ति तथा समुदाय को धर्म के विषय में समुचित स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसकी पूजा पद्धति के अनुरूप उपासना कर सकता है। इसी प्रकार वह अपना धर्मपरिवर्तन करने अथवा किसी भी धर्म में विश्वास न करने के लिए भी स्वतंत्र है। वह स्वयं अपने तथा अन्य धर्मों के विषय में दूसरों के साथ शांतिपूर्वक विचार–विमर्श कर सकता है। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी व्यक्ति को धर्म में विश्वास करने, किसी विशेष धर्म को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा उसका प्रचार–प्रसार करने के लिए किसी भी रूप में आर्थिक सहायता देने के वास्ते बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे राष्ट्र में धर्म के विषय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ–साथ सामूहिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। इसका अर्थ यह है कि अनेक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छानुसार धार्मिक संगठन बना सकते हैं, प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टि से स्वयं इस संगठन का प्रबंध कर सकते हैं और धार्मिक शिक्षा भी दे सकते है। इन सब धार्मिक कार्यों में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस धार्मिक स्वतंत्रता की कुछ निर्बन्धन सीमाएं भी हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

किसी भी व्यक्ति तथा समुदाय को यह धार्मिक स्वतंत्रता उसी सीमा तक दी जा सकती है जिस सीमा तक यह राष्ट्र में कानून, शांति एवं व्यवस्था, जनस्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध न हो। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति या समुदाय किसी भी रूप में अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता है तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना राष्ट्र का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है। इस प्रकार पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय को कुछ विशेष सीमाओं के अंतर्गत समुचित धार्मिक स्वंतत्रता प्रदान की जाती है।

2. पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को राष्ट्र का नागरिक समझा जाता है। नागरिक के रूप में उनके कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अधिकार किसी भी रूप में उनके धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों के धार्मिक विश्वासों पर विचार किए बिना पंथनिरपेक्ष राष्ट्र अपने समस्त कानून उन पर समान रूप में लागू करता है। धर्म के आधार पर विभिन्न नागरिकों के लिए भिन्न–भिन्न कानूनों को स्वीकार नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त पंथनिरपेक्ष राष्ट्र अपने सभी नागरिकों से यह भी आशा करता है कि वे केवल अपने राष्ट्र के प्रति ही पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता रखेंगे और इसमें धर्म को किसी भी रूप में बाधक नहीं बनने देंगे। इस प्रकार पंथनिरपेक्ष राष्ट्र अपने भीतर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के अनुयायी के रूप में नहीं, अपितु एक ऐसे नागरिक के रूप में देखता है जिसके कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों पर उसके धार्मिक विश्वासों और विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3. पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की तीसरी प्रमुख विशेषता है, अपने आपको धर्म से पूर्णतः पृथक रखना। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र तथा धर्म के कार्यक्षेत्र एक–दूसरे ने बिल्कुल भिन्न माने जाते हैं। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है जिसमें राष्ट्र तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक ऐसा करना राष्ट्र की सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, शांति एवं व्यवस्था तथा नागरिकों के अधिकारों के लिए अनिवार्य न हो जाए। इस दृष्टि से पंथनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आपको नागरिकों के धर्म से पूर्णतः पृथक रखता है। इसके साथ ही वह किसी धर्म को न तो संरक्षण देता है और न उसके विकास तथा प्रचार–प्रसार में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार सेक्युलर स्टेट अपने प्रशासन प्रबंधन में धर्म या पंथ को भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देता।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की उपर्युक्त तीनों विशेषताएं परस्पर संबद्ध है। जिस राष्ट्र में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं उसे ही वास्तविक अर्थ में पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी जा सकती है।

भारत में पंथनिरपेक्षता

भारतीय समाज में पंथनिरपेक्षता को एक ऐसी जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया गया है जहां विभिन्न पंथों के लोग समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना के आधार पर बिना एक–दूसरे के परंपरागत विश्वासों में बाधा उत्पन्न किए ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, जिसमें राज्य का कोई धर्म न हो और उसके लिए सभी धर्म समान हों। इसी रूप में आजादी के बाद भारत को संविधान द्वारा एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। जिसके तहत संवैधानिक रूप से राज्य किसी विशिष्ट धर्म या पंथ से संबंधित नहीं है और राज्य तथा धर्म के बीच पृथकता है, अर्थात् राज्य बिना भेदभाव के नागरिकता एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराता है।

भारत में सेक्युलरिज्म का अर्थ है पंथनिरपेक्षता। सेक्युलर के धर्म–निरपेक्ष अनुवाद का संबंध पश्चिमी देशों से है जहां धर्म व्यक्ति एवं राज्य के स्तर पर जीवन के प्रत्येक पहलू में निषेध किए जाने का भाव है, परन्तु भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए यह संभव नहीं, क्योंकि प्रारंभ में ही धर्म भारत में व्यक्ति एवं समाज के विकास की प्रक्रिया का एक अंग रहा है। अतः धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संस्करण पंथनिरपेक्षता है, जहां

सभी धर्मो के प्रति समान भाव रखते हुए राज्य किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

इस तरह भारत में पंथनिरेक्षता का तात्पर्य राज्य द्वारा स्वयं को धर्म के बीच भावात्मक सम्बन्धों को स्वीकार करते हुए अपनी सेक्युलर गतिविधियों द्वारा एक बहुलक समाज के अस्तित्व को बनाए रखते हुए एक आधुनिक पंथनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया है। अब हम संवैधानिक दृष्टि से एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हैं।

उपर्युक्त संदर्भ में ही आजादी के बाद से पंथनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया चालू है तथा राज्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पूर्णरूपेण जागरुक होकर विवेकपूर्ण योजनाएं तैयार करते हैं। जिससे भारतीय लोगों में पंथनिरपेक्ष समाज के मूल्य विकसित हों और धर्म या पंथ आधारित समाज के स्वीकृत मूल्य क्षीण हों। परंतु पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य पूजा स्थल, वैयक्तिक कानून, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों एवं धार्मिक कट्टरवादी तत्वों, अल्पसंख्यकों की समस्याओं आदि के आधार पर साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगों में वृद्धि हुई है तथा साम्प्रदायिक संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भारतीय समाज में पंथनिरपेक्षता की जड़ें मजबूत हो रही हैं, या कमजोर? सेक्युलर समाज की स्थापना के लिए हमें समान नागरिक संहिता की स्थापना करनी होगी, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद – 44 में वर्णित है।

हाल के वर्षो में साम्प्रदायिकता के बढ़ते प्रकोप और रूढ़िवाद को महसूस किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आज भारत मे पंथनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना कमजोर हो रही है जिसके कई कारण हैं–

1 हिंदू एवं मुस्लिम समाज के लोगों में मानसिक गतिशीलता का अभाव है। लोग अब भी अपनी परम्पराओं से चिपके हुए हैं।

2 पंथनिरपेक्षता के निश्चित स्पष्ट एवं सर्वमान्य अर्थ का अभाव रहा है। नेहरू ने उसे सभी धर्मो के प्रति तटस्थता के रूप में, गांधीजी ने सभी धर्मो के प्रति धार्मिक समभाव के रूप में, राधाकृष्णन ने इसे आध्यात्मिक मूल्यों से परिभाषित किया है। राजनीतिक दलों द्वारा पंथनिरपेक्षता का त्रुटिपूर्ण विश्लेषण किया गया है। किसी ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण बनाम हिंदू समाज के नवजागरण के रूप में विश्लेषित किया है तो किसी ने इसे हिन्दू समाज के नवजागरण को राजनीतिक रूप से साम्प्रदायिक बताकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है।

3 इसके वैधानिक एवं व्यावहारिक रूपों में विरोध प्रतीत होता है कि राज्य पंथनिरपेक्ष है, तथापि व्यवहार में राज्य धार्मिक संस्थानों को अनुदान देकर पंथनिरपेक्षता के विरोधी प्रतीत होते हैं।

4 विभिन्न धार्मिक समूहों, व्यक्तियों, राजनीतिक दलों की पंथनिरपेक्षता विरोधी गतिविधियां भी भारत के पंथनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्नचिह्न खड़े कर देती हैं।

5 राज्य के प्रतिनिधियों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवादविहीनता के कारण भी धार्मिक मुद्दे उभर आते हैं।

6 पंथनिरपेक्षता की विचारधारा के प्रसार में कमी के चलते भी इस संदर्भ में अपेक्षित जागरुकता का विकास नहीं हो पाया है।

7 अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ती असुरक्षा की भावना एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के कारण राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग किया जाता है।

8 उभरते हुए सामाजिक सम्प्रदायवाद एवं धार्मिक कट्टरवाद ने पंथनिरपेक्षतावाद के सम्मुख एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है।

9 समान नागरिक संहिता को अविलम्ब लागू करने की आवश्यकता है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद–44 में निहित है।

सुझाव

भारत में पंथनिरपेक्षता की सफलता के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

1. साम्प्रदायिकता घृणा भड़काने और साम्प्रदायिक हिंसा को संगठित करने वालों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्यवाही की जाए तथा साम्प्रदायिक तत्वों का उन्मूलन करने में कोई कोताही न बरती जाए। साम्प्रदायिकता को वैध एवं आदरणीय बनाने की नकारात्मक नीति से मुक्ति पाना आवश्यक है। भारत के बहुलतावादी ढांचे में पंथ निरपेक्षता का संविधान के उदात्त आदर्शो के रूप में नहीं, वरन् राजसत्ता के आचरण में भी उपस्थित होना आवश्यक है।
2. यह आवश्यक है कि पंथनिरपेक्ष राज्य के समाज का ताना–बाना संकीर्णता पर आधारित न हो। एक पंथनिरपेक्ष समाज की रचना पंथनिरपेक्ष राज्य की पूर्व शर्त है जब तक समाज की सोच और व्यवहार पंथनिरपेक्षता की ओर प्रवृत्त नहीं होगी, तब तक राज्य पंथनिरपेक्ष नहीं बन सकता।
3. एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमारे देश में किसी भी धार्मिक गुट को चाहे वो अल्पसंख्यक समूह का हो या बहुसंख्यक समुदाय का, किसी अन्य के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है इसलिए सामाजिक अशान्ति फैलाने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों को रोकने के लिए सरकारों एवं राजनीतिक दलों को सर्वमान्य ऐसे निर्णय करने आवश्यक है जिसमें साम्प्रदायिक उन्माद एवं दंगों की आग में राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान हो।
राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव, कामकाज की उपलब्धियों अथवा विफलताओं के आधार पर ही लड़ा जाये। ऐसी ताकतों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है जो धर्म की आड़ में वोटों की राजनीति करती है और देश की गंगा जमुनी संस्कृति को नष्ट करती है।

4. राजनीतिक दलों के लिए आचार– संहिता का निर्माण कर विभिन्न दलों की ओर से साम्प्रदायिक धार्मिक उन्माद फैलाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। निर्वाचकीय सुधारों से धर्म भाषा सम्प्रदाय जैसे तत्त्वों का चुनावी राजनीति में प्रयोग रोका जाना चाहिए।
5. साम्प्रदायिक उन्माद से उत्पन्न हिंसा एव अराजकता को रोकने लिए ऐसे कानूनों का निर्माण आवश्यक है जो 'सर्वधर्म समभाव' कायम कर सके। साम्प्रदायिक दंगो एवं अपराधों के दौरान अपने कर्त्तव्यों में जानबूझकर कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। साम्प्रदायिक दंगो से निबटने के लिए बनाए गए रेपिड एक्शन फोर्स (त्वरित कार्यवाही बल) का विस्तार एवं सशक्तिकरण भी कहा जा सकता है।
6. साम्प्रदायिकता के उन्मूलन हेतु आवश्यक है कि विविध सम्प्रदायों में अन्तर्कलह के मुद्दों को लम्बे समय तक टालने के स्थान पर शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए।
   साम्प्रदायिक मुद्दों को केवल न्यायालयों के निर्णय पर छोडने के स्थान पर व्यापक पारस्परिक विचाार–विमर्श से हल करने का प्रयास किया जाए।
7. सन्तुलित आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक, आर्थिक असन्तोष एवं विषमताओं को पनपने से रोका जाए। शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश कर मानवता के उदात आदर्शो पर आधारित व्यापक जीवन मूल्यों का प्रचार किया जाए।
8. नागरिक के मूल अधिकारों के अनुरक्षण तथा संविधान की व्याख्या के लिए उत्तरदायी भारतीय न्यायपालिका को प्रशासन, राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के प्रबद्ध व्यवहार एवं कार्यो के पंथनिरपेक्षता के विरूद्व होने पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
9. आज यह आवश्यक है कि धर्म की धारणा को अन्धविश्वास तथा संकीर्णता के गर्त से निकालकर आध्यात्मिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता की समस्या का तुरंत समाधान ढूंढा जाए। इसके लिए केवल सरकार के स्तर पर ही नहीं वरन् समाज तथा व्यक्ति के स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। जनता की जागरूकता एवं चेतना भी साम्प्रदायिक तत्वों का विरोध कर सकती है प्रेस एवं संचार माध्यमों के सकारात्मक जनमत निर्माण से सामाजिक समरसता एवं भाईचारा कायम किया जा सकता हैं

निष्कर्ष

यदि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म और राजनीति के बीच पूर्ण पृथककरण का होना है तो संसार का कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता । स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से दो बातों पर निर्भर करती है–

1. धार्मिक स्वतंत्रता
2. कानून के समकक्ष समानता।

   भारत का संविधान इन दोनों शर्तो को पूरा करता है संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने ओर उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है और नागरिको के बीच उनके धर्म, जाति तथा निवास स्थान आदि के आधार पर भेद– भाव को वर्जित घोषित करता है इन अर्थो में भारत निस्संदेह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अमेरिकी अर्थो में भारत भले ही धर्मनिरपेक्ष राज्य न लगता हो, लेकिन वह इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील और प्राचीनतम जनतंत्रीय देश की अपेक्षा कहीं ज्यादा, धर्मनिरपेक्ष दिखाई देता है जैसा कहा जा चुका है– इंग्लैंड में एक सरकारी चर्च है और कुछ राजनीतिक पदों के लिए वहाँ धार्मिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए राजपद केवल प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के ही व्यक्ति को मिल सकता है और राज्याभिषेक का कार्य किसी पादरी के द्वारा होता है ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन, हाउस आफ लॉर्डस में पादरी वर्ग को औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसी प्रकार अमेरिका में भी, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक नमूना माना जाता है, सामाजिक जीवन में गोरे और काले का अन्तर दिखाई देता है। वहाँ नीग्रो लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसने जातीयता के तत्व को अत्यधिक प्रभावशील बना दिया है। जैसा कहा जा चुका है, अमेरिका के राजनीतिक जीवन में कैथोलिक चर्च काफी महत्वपूर्ण रहा है और अनेक अवसरों पर उसने एक दबाव गुट के रूप में कार्य किया हैं। इस प्रकार अमेरिका में भी धर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में राजनीति पर दिखाई देता है।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है स्मिथ का कहना है कि भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति एवं शासन में कई अजनतंत्रीय विशेषताओं के होते हुए भी संसदीय प्रजातंत्र यहाँ कार्यशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कार्य कर रहा है इसी तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श स्पष्ट रूप से संविधान में विद्यमान है और इसे महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है –– डा. राधाकृष्ण ने कहा है कि मैं यह अधिकृत रूप से कहता हूँ कि धर्मनिपेक्षता का अर्थ अधर्म नहीं है इसका अर्थ यह है कि हम सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करते है और हमारा राज्य किसी धर्म विशेष से तादात्मय नहीं स्थापित करता है स्मिथ का यह विचाार उचित मालूम होता है कि यदि भारतीय राजनीतिक में व्यावहारिक रूप से ऐसी बातें दिखाई देती है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्शो के प्रतिकूल है तो भी उससे राज्य की धर्मनिरपेक्षता का अन्त नहीं होता हैं यह आशा की जा सकती है की राजनीतिक जागरूकता बढ़नें और जनतंत्रीय मूल्यों के परवान चढ़ने के साथ पंथनिरपेक्षता का स्वरूप भी निखरता जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

वर्मा, एस.एल. एवं मिश्रा, मधु, महात्मा गांधी एवं धर्मनिरपेक्षता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1999

तेजानी, शबनम, 'इण्डियन सेकुलरिज्म', ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा. लि. नई दिल्ली, 2011

चन्द्रा, बिपिन, आजादी के बाद का भारत, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2015

गोडबोले, माधव, धर्मनिरपेक्षताः दोराहे पर भारत, सागे पब्लिकेशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2018

बालाकृष्णा, संदीप ´ सेवंटी ईयर्स ऑफ सेकुलरिज्म´ इंडस यूनिवर्सिटी प्रेस, अहमदाबाद, 2018

चण्डहोक, नीरा, रिथिकिंग प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म एण्ड टोलरेंस सागे पब्लिकेशंस प्रा.लि.नई दिल्ली, 2019